

उत्तराखण्ड वन विकास निगम
सूचना का अधिकार अधिनियम -2005

नीति बनाने व उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना :-

उत्तराखण्ड वन विकास निगम की संरचना

उत्तराखण्ड वन निगम (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम 2001 के प्राविधानों के अनुरूप उत्तराखण्ड वन विकास निगम एक प्रबन्ध मण्डल की अधीन कार्य करेगा । प्रबन्ध मण्डल की संरचना निम्नवत होगी :-त

- | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|
| 1. अध्यक्ष | — | राज्य सरकार द्वारा मनोनीत |
| 2. सचिव ,वन एवं पर्यावरण | — | सदस्य |
| 3. सचिव, वित्त | — | सदस्य |
| 4. सचिव औद्योगिक विकास | — | सदस्य |
| 5. प्रमुख वन संरक्षक | — | सदस्य |
| 6. प्रबन्ध निदेशक | — | सदस्य/सचिव |
| 7. शासन द्वारा नामित | — | अशासकीय सदस्य |
| 8. शासन द्वारा नामित | — | अशासकीय सदस्य |
| 9. शासन द्वारा नामित | — | अशासकीय सदस्य |

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के प्रबन्ध मण्डल में राज्य सरकार द्वारा नामित सरकारी एवं अशासकीय सदस्यों द्वारा शासन की नीतियों का कार्यान्वयन कराया जाता है। अशासकीय सदस्यों की उपस्थिति से इस व्यवस्था में जनता का प्रतिनिधित्व स्वयं हो जाता है ।